if'pe e/; jsy

dk;kZy;
egkfujh{kd&lg&eq[; lqj{kk vk;qDr
j-l-c-@i-e-jsy@tcyiqj

क्र.सीएससी / जेबीपी / अभियोजन / 14.

fnukad&28-08-2014

mi eq[; lrdZrk ,oa njjlapkj vfHk;ark ¼Vsyh-½
if'pe e/; jsy@tcyiqj

विषय– माह जुलाई–2014 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण ।

,,,,,

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई–मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें ।

संलग्न / – 04 पेज ।

lgk;d lqj{kk vk;qDr ¼vfHk;kstu½
j-l-c-@eq[;ky;@tcyiqj

jsy lEifRRk ¼fo-fo-d-½ vf/kfu;e ds rgr ekg tqykbZ&2014 esa iathd`r ekeys

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
tqykbZ&14	30	39250	49	00	00

jsy lEifRRk dh pksjh ds ekeyksa dk iathdj.k fooj.k ekg tqykbZ&2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
tqykbZ&14	28	30	44250	39250	49	00	00

cd'kknk lifRRk dh pkjh d ekeyk dk ithdj.k fooj.k ekg tykbZ&2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
tykbZ&14	00	00	00	00	00	00	00

jy lkexh dh pkjh d ekeyk dk ithdj.k fooj.k ekg tykbZ&2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
tykbZ&14	28	30	44250	39250	49	00	00

j-l-c- }kjk ekg tykbZ&14 d nkjku
fd;k x;k vPNk dk;Z C;kjk

1) दिनांक 01.07.2014 को पार्सल कार्यालय भोपाल के पास संदिग्ध हालत मे बैठे एक बालक और बालिका को महिला आरक्षक शशि धुर्वे द्वारा देखा गया, पूछने पर संतोषजनक जबाब नही देने पर, दोनो को रेसुब/भोपाल पोस्ट लाया गया और पूछताछ की गई तो उन्होने अपना नाम व पता क्रमशः कपिल बर्मन उम्र 17 साल निवासी–ग्वालियर म.प्र. तथा बालिका ने शिवानी कुशवाहा उम्र 16 साल निवासी–ग्वालियर बताया। उनके परिजनो से संपर्क करने पर शिवानी कुशवाहा की बहन सोनाली कुशवाहा ने उक्त के संबंध में कम्पू का बाग ग्वालियर थाना मे अपराध क्र. 439/14 धारा 363, 366 आईपीसी के तहत दर्ज कराया गया है। बालक कपिल बर्मन के पिता बलराम बर्मन से संपर्क करने पर उन्होनें इन्द्रगंज ग्वालियर थाना मे बालक कपिल बर्मन के गुमशुदगी की रिपोर्ट 12/2014 पर दर्ज कराई गई है। उपरोक्त बालक व बालिका को जीआरपी भोपाल को सुपुर्द किया गया।
2) दिनांक 09.07.2014 को मंसुनिकक्ष–रेसुब भोपाल की सूचना पर भोपाल स्टेशन प्लेटफार्म नं. 01 पर महिला आरक्षक शशि धुवे व आरक्षक देवेन्द्र कुमार चक्रवर्ती को एसटीडी बूथ के पास एक लडकी गुलाबी रंग का सूट पहने बैठी हुई मिली। जिसे रेसुब, पोस्ट भोपाल लाकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम प्रिया कुमारी पुत्री उदय राज सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी आदर्श नगर मकान नं. 462 मोदी नगर रोड हापुड़ जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश बताया और बताया कि मेरे ताउजी का बड़ा बेटा जिसका नाम तेजवीर सिंह पुत्र प्रभुदयाल सिंह उम्र 40 साल मुझे लगभग ढेड़ साल से संबंध बनाने के लिए परेशान करता है और मुझे मोबाईल पर गंदे गंदे मैसेज भेजता है मेरे घर से भागने के 01 दिन पहले ही तेजवीर सिंह ने कहा था कि 10 जुलाई को मेरे साथ चलना नही तो मैने तेरा इन्तजाम कर लिया है जिससें में बुरी तरह डर गई और घवरा कर अपने घर से भाग गई। इस संबंध में उक्त लड़की प्रिया के पिता उदयराज सिंह से संपर्क कर निरीक्षक रेसुब भोपाल पोस्ट द्वारा प्रिया कुमार की सहमति के बाद उसके पिता उदयराज सिंह को सुरक्षित सुपर्द किया गया।
3) दिनांक 10.07.14 को मं.सु.नि. कक्ष भोपाल से गाडी क्रमांक 12434 के कोच बी–1 वर्थ नंबर–59 पर एक यात्री के मोबाईल छूट जाने की सूचना पर उपनिरीक्षक पी.के.पाण्डे मय स्टाफ सउनि एस.एस.भदोरिया व आरक्षक सी.एस.रघुवंशी के साथ गाडी पर पहुचे तो बताये गये कोच व बर्थ पर एक मोबाईल मिला। जिसे मोबाईल मालिक द्वारा मोबाइल के दस्तावेज बताये जाने पर दो गवाह के समक्ष सुपुर्द किया गया।

4) दिनांक 10.07.2014 को गाडी सं. 59356 अप के सामान्य कोच से श्रीमहावीर स्टेशन पर एक महिला यात्री कमला बाई का एक लेडिज पर्स चुराकर ले जाते हुये एक व्यक्ति को आरक्षक रमन सिंह द्वारा दौडकर पकडा, जिसने अपना नाम प्रेम सिंह मीणा, उम्र 20 वर्ष निवासी–जिला– करौली (राज.) बताया। उसी दौरान पीडित महिला के साथ यात्रा कर रहे उसका भाई वहाँ पहुँच कर, चुराये गये पर्स को पहचान कर उसे बहिन कमाला बाई का होना बताया। जिसमें दो माबाईल (नोकिया व स्पाईस कम्पनी), 02 चॉदी की चुटकी, नगद रू 405/– थे। सूचना देकर पकड़े गये व्यक्ति मय पर्स के साथ जीआरपी/हिन्डोन हैडकॉ. दलवीर सिंह को सुपुर्द किया गया। इस सम्बन्ध में जीआरपी/ गंगापुरसिटी द्वारा अपराध क्र. 47/2014 धारा 379 भादसं कायम कर मामले को जॉच में लिया गया। मामले की जॉच जीआरपी/हिन्डोन हैड कॉ. दलवीर सिंह द्वारा की जा रही है।

5) दिनांक 12.07.2014 को Dy/P/Kota ने मंसुनिक को सूचना दिया कि गाडी सं0 22982 हनुमानगढ कोटा एसीपी में सवाईमाधोपुर स्टेशन पर खडी है। सूचना पर सउनि/सवाईमाधोपुर रामलखन यादव मय स्टाफ ने गाडी को अटेण्ड किया। कोच नं0 एस/2 डब्ल्यूसी–12232 में यात्रा कर रही महिला यात्री शारदा दासवानी, उम्र–55 वर्ष, निवासी–2 13 दादावाडी कोटा, सीट नं0 26 व 29 पर अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रही थी ने बताया कि सवाईमाधोपुर स्टेशन पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका लेडिस पर्स लेकर भाग गया, इसलिए उसके द्वारा एसीपी की गई। दोनो मां बेटी को सवाईमाधोपुर स्टेशन पर उतारकर गाडी को रवाना किया गया। उसी दौरान आरपीएफ/जीआरपी स्टाफ द्वारा लेडिस पर्स को लेकर भागते एक व्यक्ति नाम रामकरण, उम्र–35 वर्ष, निवासी–1981 वार्ड नं0 6, रतन रोड धन दरवाजा के पास, जिला–शिवपुरी (म0प्र0) पकडा। जिसे उक्त महिला द्वारा पहचानने पर जीआरपी सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त आरोपी के विरूद्ध सवाईमाधोपुर अ0क0 59/2014 धारा 379 भादस दिनांक 12.07.14 दर्ज कर जॉच में लिया।

6) दिनांक 15.07.2014 को उप निरीक्षक/भरतपुर पवन कुमार शर्मा ने भरतपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नं0 4 पर गाडी सं0 13240 के आगमन के समय गस्त के दौरान एक बालक उम्र–6 वर्ष, नाम आबिद पुत्र मो0 तयब, निवासी–पुरानी दिल्ली को लावारिस हालत में घूमते हुये पकडा। जिसको खाना खिलाने के बाद एसएसई भरतपुर एवं जीआरपी के साथ मिलकर चाईल्ड वेलफेयर कमेटी भरतपुर के प्रतिनिधी सुरेशचन्द भार्मा एवं श्रीमति अनिता सिंह को सकुशल हालत में सुपुर्द किया।

7) दिनांक 15.07.14 को गाडी सं. 12964 मेवाड एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस/4 की सीट सं. 53 पर महिला यात्री मधु जैन, उम्र–50 वर्ष, निवासी– विकाश नगर, बून्दी के गले से सोने की चैन की तोड़ने का प्रयास कर सवाईमाधोपुर स्टेशन पर चलती गाडी से कूद कर भागते हुए एक व्यक्ति को ऑन डयूटी रेसुब स्टाफ सउनि बिशन सिह व हैडकॉ. रामवीर सिंह द्वारा पकडा, पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम राजेन्द्र योगी, उम्र–21 वर्ष, निवासी– सवाईमाधोपुर बताया जिसे मय तहरीर के जीआरपी/सवाईमाधोपुर को सुपुर्द किया गया जहाँ अ.क्र.63/2014 धारा 379,511 भादसं दिनांक 15.07.2014 कायम किया गया।

8) दिनांक 16.7.2014 को रात्रि समय 12.00 बजे एक लावारिस ट्राली बेग सर्कुलेटिंग एरिया स.माधोपुर स्टेशन में पड़े होने की सूचना पर निरीक्षक/सवाईमाधोपुर निहाल सिंह, सउनि/बिशन सिंह, आर0 नदीम एवं आर0 अशोक कुमार मौके पर पहुँचे तथा बैग के संदिग्ध होने पर कॉन्स. सुशील कुमार द्वारा स्नीफर डॉग रोमी से चैक करवाया गया जिसमे कोई विस्फोटक सामग्री नही होना पाया। बाद उक्त बेग को खोलकर देखने पर उसके अन्दर महिलाओं एवं बच्चों के पहनने के कपड़े एवं एक प्लास्टिक की थैली में कुल 1,34,000/–रूपये (एक लाख चौतीस हजार रूपया नगद) मिले। उक्त ट्राली बेग का कोई भी वारिस नही मिलने पर तथा उक्त बेग को जीआरपी/सवाईमाधोपुर को सुपुर्द किया गया। जीआरपी/सवाईमाधोपुर द्वारा सीआरपीसी की धारा 102 दिनांक 16.07.2014 के तहत जप्त कर अपने तावे में लिया।

9) दिनांक 23.7.2014 को गाडी संख्या 12854 डाउन अमरकंटक एक्सप्रेस का जबलपुर स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 03 से प्रस्थान होने के दौरान चलती गाडी से बी–3 कोच मे चढते समय एक यात्री राजीव मेहर उम्र 32 साल गाडी से गिर गया। गाडी की चपेट मे आने से उसका बाया हाथ कट गया तथा दाहिना पैर कुचल गया। इसी दौरान यात्रियों ने गाडी को एसीपी कर रोका। उक्त घटना को होता देख जबलपुर पोस्ट के उपनिरीक्षक शिशिर कुमार एवं आरक्षक मोहम्मद कासिम द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को प्लेटफार्म एव पटरियो के बीच से निकलवाकर 108 एम्बुलेंस से तत्काल उपचार हेतु शासकीय अस्पताल जबलपुर भेजा गया तथा सर्व सम्बिंधितो को सूचना दर्ज करायी। उक्त घायल व्यक्ति को अत्यधिक गहरी चोटे आयी थी जिसके परिणाम स्वरूप घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सको द्वारा मृत घोषित किया गया।

10) दिनांक 25.07.2014 को सउनि/वीरेन्द्र यादव ने नोट कराया कि गाडी सं0 12956 के रामगंजमण्डी स्टेशन आगमन पर अटैण्ड किया। इंजन की तरफ यात्रियों को भोरगुल सुनाई देने पर पहुँचा तो सुरक्षा पार्टी की मौजूदगी में यात्रियों द्वारा दो व्यक्तियों असफाक, उम्र–27 वर्ष एवं मो0 खुर्नम, उम्र–32 वर्ष, दोनो जिला–मन्दसौर (म0प्र0) को पकड रखा था तथा बताया कि फरियादी जयप्रकाश, उम्र–27 वर्ष, निवासी–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा (राज0) के 1000/–रू, मोबाईल, तथा कैलाश, उम्र–32 वर्ष, निवासी–थाना–सुकेत, जिला–कोटा के 2200/–रू चोरी होना बताया। बाद दोनो आरोपियों व फरियादी के गाडी सं0 12415 से कोटा लाकर जीआरपी थाना कोटा को सुपुर्द किया गया। जीआरपी थाना/कोटा द्वारा इस्तगासा नं. 72/2014 धारा 151,107,116 ब्तच्ब दिनांक 26.07.14 कायम कर, दोनो आरोपियों को ैक्डध्ड। के समक्ष पेश किया गया। जहॉ पर दोनो आरोपियों को 2000–2000 के मुचलके पर 6 माह के लिए पाबन्द किया गया।

11) दिनांक 26/27.07.14 को गाड़ी सं. 59821 कोटा–भिंड पैसेन्जर के अटरू स्टेशन पर खडी होने के दौरान रेसुब ईस्कोर्टिंग पार्टी द्वारा सामान्य कोच को चैक करने पर देखा कि यात्रियों द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ हुआ है। ईस्कोटिंग पार्टी द्वारा पूछताछ करने पर यात्रियों ने बताया कि पकडे हुए व्यक्ति एक साथी माबोईल चोरी कर अटरू स्टेशन पर भाग गया है। पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम यासीन पुत्र श्री हसीन, उम्र 18 वर्ष, निवासी कसाई मोहल्ला– छबडा बताया। जिसे मय तहरीर के जीआरपी हैडकॉ. चन्द्र प्रकाश को सुपुर्द किया। जीआरपी/कोटा द्वारा इस्तागासा नं. 72/14 धारा 107,151,116 ब्तण्च्ब दिनांक 27.07.2014 दर्ज किया गया।

12) दिनांक 28.07.2014 को उनि/कोटा पोस्ट महेशचन्द्र मीना को दौरान गस्त प्लेटफार्म नं0 1 के ब्रिज के नीचे 01 नाबालिग बच्चा मिला जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम विनय कुमार बिन्द पुत्र केशू उम्र–11 वर्ष, निवासी– अकोड़ा साधुकुटी, थाना–करचना, जिला–इलाहाबाद (उ0प्र0) बताया तथा बताया कि अपने ताऊ से मुम्बई से बिछुड़ गया था तथा अज्ञात ट्रेन से सवाईमाधोपुर आया। उक्त बालक को उसके घर पहुँचाने के लिए बाल कल्याण समिति सवाईमाधोपुर सदस्य रामकल्याण मीना को लिखित तहरीर के साथ सकुशल सुपुर्द किया तथा उक्त बालक को घर पहुँचाने के लिए रे0सु0ब0 कन्ट्रोल/इलाहाबाद के जरिये थाना करचना को सूचना भिजवाई गई।

13) इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 295 व्यक्तियों के विरुद्ध rEckdw vf/kfu;e (Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 59,000/–रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

jsy vf/kfu;e ds rgr ekg tqykbZ&2014 esa dh xbZ dk;Zokgh dk fooj.k %&

/kkjk	iathd`r ekeys	tqekZuk :- esa
137	2076	877885
138	8022	3223219
139	0	0
141	354	225140
142	0	0
143	4	0
144	1602	614675
145	830	89180
146	2	2500
147	402	83150
153	0	0
154	13	44200
155	1083	68300
156	214	18750
157	0	0
159	551	62000
160	6	5000
161	1	0
162	733	37375
163	0	0
164	0	0
165	0	0
166	0	0
167	10	900
172	1	0
173	0	0
174	14	10220
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	**15,918**	**53,62,494**